eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

घरेलू हिंसा और परिवार न्यायालय

[1]डॉ0 पूजा चौहान
[1]श्री सांई बाबा इंटर कॉलेज, अमरोहा, उ0प्र0

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 15 October 2023, Published : 01 Dec 2023

Abstract

आज के समय में विश्वभर में बहुत बड़ी–बड़ी समस्याएँ अपने पैर पसारे खड़ी हुई है। जिन समस्याओं के कारण पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के गंभीर अपराध हो रहे है, समस्याएँ है जैसे– आतंकवाद, बढ़ती हुई जनसंख्या, हिंसा, गरीबी, फिरौती के लिये अपहरण, आर्थिक समस्या, युद्ध, महामारी, बेरोजगारी अथवा घरेलू हिंसा आदि और भी अनेक समस्याएँ है।

मुख्य शब्द– मानवीय गरिमा, महिलाओं की समस्याए, घरेलू हिंसा और परिवार न्यायालय।

Introduction

भारत घरेलू हिंसा की समस्या बहुत अधिक पीडा देने वाली और अन्दर से तोड़ देने वाली बात है, कि जिस व्यक्ति और घर वालों पर हम इतना विश्वास करते हैं, और इनके साथ ही रहते है और वही इंसान हमें इतना दुख पहुंचाता है। तो उस व्यक्ति का समाज के हर रिश्ते पर से विश्वास टूट जाता और वह इतने सदस्यों के साथ रहते हुए भी अकेला हो जाता है, कोई कोई तो इतना परेशान हो जाता है कि वह खुद को ही खत्म कर देता है।

हिंसा क्या है ?

सबसे पहले हम समझते है कि हिंसा क्या होता है? लोगों, पशुओं, धन का नुकसान करना अथवा शारीरिक बल का प्रयोग करना ही हिंसा के अन्तर्गत आता है उदाहरण – दर्द, चोट, विनाश, मृत्यु, क्षति आदि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हिंसा उसे कहते है जब शारीरिक बल या शक्ति का उपयोग जानबूझ के करा गया हो या कोई धमकी दे जैसे स्वयं के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ या किसी व्यक्ति अथवा समूह के विरुद्ध । जिसका परिणाम चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक हानि अथवा भय उत्पन्न करने का प्रयास करना होता है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा के कारण 2013 में अनुमानित 1.28 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी जो 1990 से 1.13 मिलियन से बहुत अधिक थी। उस समय विश्व की जनसंख्या में 1.9 बिलियन की वृद्धि के कारण हिंसा की दर कम लगती है, परन्तु 2013 में लगभग 842,000 मौते आत्महत्या, 405,000 पारस्परिक हिंसा और 31,000 मौतें युद्ध में हुई थी। हिंसा के भी अनेक प्रकार होते है परन्तु आज जो हिंसा विश्व भर में बहुत तेजी के साथ बड़ रही है वह है घरेलू हिंसा । वतर्मान में घरेलू हिंसा भी एक बहुत भारी बन गई है।

घरेलू हिंसा क्या है?

यदि आप विवाह, डेटिंग, परिवार, सहवास, अंतरंग सम्बन्ध में एक या दो व्यक्तियों के द्वारा र्दुव्यवहार पार्टनर पर किया जाए तो उसे घरेलू र्दुव्यवहार कहते है, उदाहरण – पति–पत्नी के साथ हिंसा, मार–पीट, परिवार द्वारा हिंसा, अंतरंग पार्टनर हिंसा को भी IPV का ही रूप माना जाता हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

यदि कोई व्यक्ति घर में रहने वाले व्यक्ति या महिलाओं से जैसे – पत्नी, पूर्व–पत्नी, माता, लड़की, विधवा, विवाह के समान रिश्ते में, रहने वाली महिला, संयुक्त परिवार अन्य सदस्य, बच्चे (बालक–बालिका) से आर्थिक, शारीरिक, यौन अथवा भावनात्मक हिंसा करता है, तब वह अपराध घरेलू हिंसा होता है।

एक थप्पड़, लेकिन नहीं मार सकता ये सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं है, अपितु ये हमारे समाज की अश्लील हकीकत को दिखाता है। घरेलू हिंसा विश्व में हरने वाले हर समाज में मौजूद है। इस शब्द को अन्य आधारों पर बाटा जा सकता है जिसके अर्न्तगत पति या पत्नी, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, बच्चे तथा किशोर (लड़के व लड़कियाँ) के कुछ हिंसा के मामले सामने आते हैं । पीड़ितो को आरोपी अनेक प्रकार की गतिविधियों द्वारा परेशान करता है जैसे– शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, आर्थिक शोषण, गाली–गलौच, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, ताना मारना, यौन शोषण आदि आते हैं। घरेलू हिंसा केवल विकासशील अथवा अल्पविकसित देशों की ही नहीं अपितु विकसित देशों की भी बहुत भारी व बड़ी समस्या है। घरेलू हिंसा हमारे सभ्य समाज का एक कड़वा सच्च है। कहते हैं, कि एक सभ्य समाज में कोई हिंसा का नामो निशान नहीं होता है, परन्तु प्रत्येक साल में जितने घरेलू हिंसा के मामले समाज के सामने आते है, तो ये एक बहुत चिंता का विषय हैं। विश्वभर के घरों में बन्द दरवाजों के भीतर कितने ही व्यक्तियों को परेशान किया जाता है। अब तो ये दण्डनिय कार्य हर कस्बो, गाँवों, शहरों अथवा महानगरों में किया जा रहा है। घरेलू हिंसा हर सामाजिक वर्गों, नस्ल, आयु समूहों तथा लिंग में होती है, और ये समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत बन रही है। पहले तो यह हिंसा केवलमहिलाओं पर ही की जाती थी, केवल महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा के मामले सामने आते थे। परन्तु वर्तमान समय में ये अपराध केवल औरतों तक ही सीमित नहीं रह गया है अब तो इस अपराध ने पुरुषों, छोटे– छोटे बच्चों और बच्चियों अथवा माता–पिता को भी अपनी चपेट में ले लिया है, अब हम ये नहीं कह सकते है, कि केवल महिलाएँ ही घरेलू हिंसा का शिकार होती है, जबकि अब तो समाज का कोई भी व्यक्ति इस अपराध का शिकार हो सकता है। आज की तिथि में यह देखा जा सकता है, कि विश्व के हर तीसरे– दूसरे घर में घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई न कोई व्यक्ति अवश्य ही मिल जाता है। देखा जाए तो महिलाओं और बालिकाओं का हर जगह शोषण होता है वो चाहे घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो अथवा कॉलेज।

मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ कि केवल महिलाओं का ही शोषण होता पुरुषों या लड़को का नहीं। जबकि अब वर्तमान समय में तो पुरुषों, किशोर लड़कों तथा सीनियर सिटीजन के शोषण के मामले कुछ समय से बहुत सामने आए है, परन्तु पुरुष शोषण के मामलों की दर महिलाओं के ऊपर होने वाले शोषण से कम है। आज भी अधिकांश महिलाएँ ही घरेलू हिंसा का शिकार होती है। हमारी समाजिक स्थिति के कारण यह हिंसा औरतों पर ज्यादा होती हैं, क्योंकि महिलाओं को अपनी अक्षमता, तंगी और कम पसन्द के कारण इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं के जीवन समानता के मौलिक अधिकारों और स्वतन्त्रता का हनन हो रहा है। समाज में कानून ने और एक आदर्श समाज में पुरुष और औरतों को बराबरी का दर्जा दिया है परन्तु अधिकांश औरते अपने विवाह के बाद हो रहे वैवाहिक हिंसा को सहती रहती है, परन्तु अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ रहती है ये केवल अशिक्षित या पुरानी पीढ़ी की औरतों

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

की बात नहीं है, जो आज की शिक्षित और आज के जमाने में जीने वाली स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर महिलाएँ भी है, वो भी इस हिंसा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाती है, और अगर कोई बोलने की कोशिश करती है, हिंसा के खिलाफ तो उस औरत के घर के लोग और रिश्तेदार उसका तरह –तरह की बातें बनाकर मनोबल तोड़ देते हैं और उसको चुप करा देते है, जिस कारण यह अपराध और अधिक भयंकर रूप धारण कर लेता है। आइए हम इस समस्या के कारणों, बच्चों तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और समाधान के उपाय को तलाशने की कोशिश करे।

घरेलू हिंसा के प्रकार– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा से परेशान औरतों को तथा 18 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों और बालिकाओं को संरक्षित किया है तथा घरेलू हिंसा के प्रकार निम्नलिखित हैं–

(1) महिलाओं के प्रतिकूल घरेलू हिंसा – किसी भी औरत को शारीरिक वेदना देना जैसे – मारना, पीटना, धक्का मारना, लात मारना, किसी चीज से उसे मारना या किसी ओर तरीके से किसी भी औरत को शारीरिक पीड़ा देना, लड़कियों और औरतों को जबरन अश्लील वीडियों या अश्लील नॉवेल तथा अश्लील फोटो देखने के लिए मजबूर करना, रेप करना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना, औरत व लड़की की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात करना किसी महिला या लड़की की निंदा करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्मघात की धमकी देना, मौखिक अभद्रता करना आदि शामिल है। United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women & UN women के अनुसार, पूरे विश्व में वर्ष 2019– 20 में 243 मिलियन बालिकाएँ और 15–49 वर्ष की औरतों के अपने साथी द्वारा यौन अथवा शारीरिक हिंसा का शिकार हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार कम से कम दो–तिहाई वैवाहिक औरतें ही घरेलू हिंसा का शिकार होती है, जो कम से कम 15–49 वर्ष की होती है। 70 प्रतिशत विवाहित औरते मारपीट, रेप या इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण का शिकार होती हैं।

(2) पुरुषों के प्रतिकूल घरेलू हिंसा– इसमें कोई सन्देह नहीं है कि औरतों के विरुद्ध घरेलू हिंसा एक बड़ी और गम्भीर समस्या है, परन्तु विश्व में और भारत में पुरुषों के प्रतिकूल भी घरेलू हिंसा के मामले धीरे –धीरे सामने आ रहे है, यह भी कह सकते है कि अब इस समाज में पुरुष भी सुरक्षित है नहीं है। इस अपराध ने उन्हें भी अपनी चपेट में लें लिया है। पुरुषों के प्रति हिंसा तथा अन्य शारीरिक शोषण, दुर्व्यवहार होता है, जैसे कि विवाह के बाद या सहवास में भी। जैसे–महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की तरह है, अब विश्वभर में पुरुषों के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा के अपराध हो रहे है। पुरुष घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने जाते है, तो उनको अपनी मर्दानगी की कमी और मर्दानगी से सम्बधिंत अन्य अपमान की तथा सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ता है। पुरुष घरेलू हिंसा की रिपोर्ट इसी कारण से बहुत कम कराते हैं, क्योंकि ये समाज उनको अपमान की नजरों से देखता है।

(3) बच्चों के प्रतिकूल घरेलू हिंसा – हमारे समाज में बच्चों और किशोर व किशोरियों को भी इस घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है असलियत में हिंसा का यह प्रकार औरतों के विरुद्ध

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

हिंसा के बाद बच्चों पर किये जा रहे घरेलू हिंसा अपराध के मामले की रिपोर्ट दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक होती है। शहरों, गाँवों, कस्बों व महानगरों में तथा उच्च वर्ग के परिवारों तथा निम्न वर्ग के परिवारों में इस अपराध के रूप अलग–अलग होते है। शहरों में यह अपराध बहुत तेजी के साथ होते है और ये निजी होते है ये अपराध अधिकतर घरों के अन्दर ही छिपा रहता है।

(4) सीनियर सिटीजन के प्रतिकूल घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा के इस प्रकार से आशय उस हिंसा से है, जो घर के बड़े बूढ़े व्यक्तियों के साथ किया जाता जो घर के छोटे बच्चों तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी विश्व में अत्याधिक गम्भीर हो रही है। जैसे–घर में ही बुजुर्गों को बन्द कर देना, उनका अपमान करना, उनको मारना पीटना, उनसे अत्याधिक घर का काम कराना, उनको खाने के लिए कुछ न देना और उनको घर के सभी सदस्यों से दूर रखना आदि आते हैं।

घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने के कारण –घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने के निम्न कारण है–

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि औरते आदमियों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। दहेज की मांग से असंतुष्ट अपने साथी के साथ बहस करना, अपने साथी के साथ जबरन यौन सम्बन्ध बनाना, बच्चों की बुराई करना, साथी को बिना बताए घर से बहार जाना, अच्छा खाना न बनाना आदि आते है। Extra Marital Relationship होना, ससुराल में रहने वाले सदस्यों की देख– रेख न करना और कुछ मसलों में बांझपन भी परिवार के व्यक्तियों के द्वारा औरत पर हमले का कारण होता है। पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के करणों में पत्नी द्वारा दिए गये आदेशों का पालन न करना, पुरुषों की कम वेतन आय, Extra Marital u'kk Relationship, घर के कामों में महिलाओं की सहायता न करना, बच्चों की सही से देखभाल न करने पर, पति अगर पत्नी के परिवार वालों को गाली दे तो, पुरुषों का नामर्द होना आदि।

ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारण बाल श्रम, शारीरिक शोषण, अपने परिवार की परंपराओं का पालन न करने पर उसको प्रताड़ित करना, उन्हें घर में ही बन्द कर देना, उनको स्कूल न जाने देना, उनको न पढ़ने या लिखने देना, परिवार के अन्य सदस्यों को गलत जवाब देने पर बहुत मारना पीटना, शहरों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारण माता–पिता का आदेश न मानने पर, पढ़ाई में अच्छे नम्बर न लाने पर, किसी बुद्धिमान बच्चे से कम बुद्धिमान होने पर, पड़ोस के बच्चों से बराबरी नहीं करने पर आदि कारण आते है। गरीब माँ– बाप पैसे कमाने के लिए जो बच्चे कम बुद्धि के होते हैं,उनके शरीर के अंगों को बेचकर पैसे कमाते है, ये कुछ खबरे भी सामने आती है। ये घटनाएँ बच्चों के विरुद्ध क्रूरता और हिंसा प्रकट करती है।

सीनियर सिटीजन के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कारणों में वृद्ध माँ–बाप का खर्च उठाने पर घर में लड़ाई करना, कुछ लोग अपने बुजुर्ग माँ–बाप को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते है और फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए उनको कहीं छोड़ आते है, या उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उनका अपमान किया जाता है, उनको घर में भोजन न देना, संपत्ति के लिए उनको अन्य परिवार के सदस्य पीड़ित करते है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

घरेलू हिंसा के प्रभाव– अगर किसी ने अपने लाइफ में घरेलू हिंसा का सामना किया है, तो उस व्यक्ति के लिए इस भय से बहार निकलना बहुत कठिन हो जाता है। अत्याधिक रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद उस व्यक्ति की सोच पर नकरात्मकता हावी हो जाती है, उस इंसान की जीवन शैली नॉर्मल होने में काफी समय या वर्ष लग जाते है। घरेलू हिंसा की सबसे बुरी हकीकत ये है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक पीड़ा से जल्दी नहीं लौट पाता है। इस तरह के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि कभी–कभी वह व्यक्ति अपना मासिक सन्तुलन भी खो बैठता है या तो वह उदास हो जाता है। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा प्रभाव तो बच्चों पर पड़ता है। सीटीस्कैन करने पर ज्ञात होता है, कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा देख–देख कर ही अपना जीवन व्यतीत किया है उन बच्चों के मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोंकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है। जिस कारण उनके सीखने की, याद रखने की तथा भावनात्मकता की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे माहोल में बच्चे अपने पापा से गुस्सा व आक्रामक व्यवहार सोखते है। और इस तरहा के बच्चे हमेशा कमजोर व्यक्ति व बच्चों तथा जानवरों के साथ बहुत हिंसा करते हुए देखे जाते है।

लड़कियाँ इस माहौल में नकारात्मक व्यवहार की शिकार हो जाती है, और वे हमेशा गुम– सुम ,डरी–डरी, चुप–चुप तथा दब्बू किस्म की हो जाती है और अपनी समस्याओं से दूर भागने लगती है। इस हिंसा का सभी प्रकार के व्यक्तियों पर और उनके जीवन पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते है, क्योंकि जो शिकार हुई औरते समाजिक जीवन की भिन्न–भिन्न प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेती है। घरेलू हिंसा के निवारण के उपाय –इसके निवारण के उपाय निम्न है –

यह ज्ञात रखना अनिवार्य है, कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित उग्र नहीं होते हैं। हम उनको एक बहतर परिवेश देकर घरेलू हिंसा के आंतरिक विकृतियों से उभार सकते है। भारत अपराधियों की मनसा को समझने और उसे बदलने का प्रयत्न करने के मामले में पीछे चल रहा हैं। हम लोग आखिर कब तक इस अपराध को अनदेखा करते रहे। हमें औरतों और बच्चों के साथ हो रही हिंसा को रोकना होगा और इसके लिए पुरुषों को न केवल समस्या का कारण जबकि उन्हें इस समस्या के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।

इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पहला कदम यह लेना आवश्य है कि पुरुषों को महिलाओं के विरुद्ध रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समस्या के समाधान में शामिल करना होगा। मर्दानगी की भावना को बढ़ावा देना बन्द करना होगा और घिसे– पिटे ढकोसलों को तथा पुरानी घिसी–पिटी परम्पराओं को जड़ से समाप्त करना होगा। उच्च न्यायालय और सरकार ने महिलाओं और बच्चों तथा बालिकाओं के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 डीवीए जो सन् 2005 में संसद ने लागू किया और 2006 में डीवी अधिनियम लागू किया था। इसी प्रकार सभी देशों में उस देश की सरकार और कोर्ट के द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं लागू कराई है और इस कानून के अन्तर्गत सभी सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इस अधिनियम को समझना और यह भी समझना बहुत जरूरी है, कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक औरत है, और आपके अपने रिश्तेदारों में से कोई भी व्यक्ति आपके साथ र्दुव्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के अनुसार एक पीड़ित है और आप अपनी रिपोर्ट उस अपराधि के खिलाफ दर्ज करा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 द्वारा भारत सरकार मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क हो

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

गई है, परन्तु इसको और अधिक असरदार करने की आवश्यकता है, सरकार को घरेलू हिंसा से पीड़ित पीड़ितों और उसके परिवार को बहार निकालने के लिए किसी प्रोफेशनल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ और अधिक उपलब्ध कराने के लिये एक समूह विकसित करना होगा। सरकार ने 1 अप्रैल 2015 में वन स्टॉप जैसी योजना भी लागू की है इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष सेवाएँ प्रदान करना है। इसी के द्वारा पीड़िताओं को चिकित्सा, कानूनी व मनोवैज्ञानिक परामर्श भी तत्काल प्राप्त कराये जाते है। लड़कियों को हर हालत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। महिलाओं की आर्थिक क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। उत्पादन के साधनों और पिता की संपत्ति पर भी उसका अधिकार होना चाहिए अगर औरत आत्मनिर्भर होगी तो वह अपना खर्च अपने आप उठा सकती है तो उसको घरेलू हिंसा का शिकार होने से भी बचाया जासकता है।

घरेलू हिंसा से छुटकारा पाने के लिए पीड़ितों को अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, जब तक वह एक जागरुक नागरिक बनने की कोशिश नहीं करेगी और अपने आप पर हो रहे अत्याचार, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, तब तक घरेलू हिंसा से अपने आप को नहीं बचा सकेंगी है।पहले औरतों को यह समझना होगा कि वह एक महिला होने से पहले इस देश की एक सम्मानित नागरिक है तो उसको अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का पूरा अधिकार है।

घरेलू हिंसा संबन्धित कानूनी प्रावधान

(1) संरक्षण आदेश – मजिस्ट्रेट, पीड़ित व्यक्ति के हित में संरक्षण आदेश पारित कर अपराधि की घरेलू हिंसा का कोई अपराध करने में सहायता करने वाला, पीड़ित व्यक्ति जिस स्थान पर ही रहता हो या आता जाता हो उस स्थान में प्रवेश करने से पीड़ित के साथ किसी भी प्रकार के वैयक्तिक मौखिक, दूरभाष तथा लिखित रूप से सम्पर्क रोक सकता है।

(2) आवासन या निवास आदेश – अपराधी, पीड़ित को साझी गृहस्थी पर जबरन बेदखल नहीं कर सकता है ना ही किसी भी प्रकार की रुकावट डाल सकता है। यदि औरत साझी गृहस्थी में नहीं रहना चाहती है तो अपराधी को अपने रहने की व्यवस्था कही अलग करने का आदेश दिया जाता है जिसका सारा खर्च चाहे स्वयं का हो या महिला का वो पुरुष आरोपी को ही उठाना पड़ता है महिला को नहीं।

(3) मौद्रिक या आर्थिक अनुतोष – कार्य पर न जाने के कारण पीड़ित को आर्थिक रूप से क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति करने का आदेश आर्थिक राहत एक साल या हर महिने वेतन देने को कहा जाता है।

(4) मुआवजे का आदेश – शारीरिक, मानसिक हिंसा के कारण जो पीड़ित व्यक्तियों को बहुत सी कठनाईयों का और आर्थिक समस्या का जो सामना करना पड़ता है, ऐसे में मजिस्ट्रेट अपराधी को मुआवजा देने का आदेश देते है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

(5) अंतरिम तथा एक पक्षीय आदेश – इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट जैसा उचित या न्यायसंगत समझे मध्यवर्ती तथा एकपक्षीय फैसला कर सकता है, यदि किसी भी पक्ष को अदालत का फैसला मंजूर नहीं होता है तो वह पक्ष 30 दिन के अन्दर अदालत द्वारा किए हुए फैसले को न मंजूर करके सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है।

(6) नजरबंदी का आदेश – अपराधी कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करे और पीड़िता के साथ दोबारा घरेलू हिंसा करता है तो अपराधी को एक वर्ष की जेल की सजा और 20,000/– रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा या फिर दोनों दंड भी दिए जा सकते है। इसमें नया 1 से अधिक निर्देश जो भी न्यायालाय को उचित लगे वो दे सकता है।

अधिनियम के मुताबिक सुनवाई की तारीख आवेदन मिल जाने के बाद तीन दिन के अन्तर्गत ही निर्धारित कर दी जाती है एवं ऐसे मामलों की गम्भीरता के साथ सुना जाता है और जल्द से जल्द 60 दिनों में ही इन मामलों का फैसला उच्च न्यायालय कर देता है। घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करने के लिए सरकार ने टॉल फ्री महिला हेल्पलाईन नंबर 18 पर दर्ज करा सकते है।

संदर्भ सूची–

1द्ध जैक्सन, निकी अली (2007) द्य घरेलू हिंसा का विश्वकोश द्य न्यूयॉर्क, न्यूयोकर्रू रूटलेज । आईएसबीएन 9780415969680

2द्ध डेनियल्स, ल्यूक (2010), पुलिंग द पंचेसरू डिफेटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, बोगल–एलश ओवरचर प्रेस। आईएसबीएन 9780904521689